ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 260-263
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

धर्मशास्त्रों में नारी शिक्षा

1. डॉ0 मन्जू यादव
2. छोटे लाल यादव

1. असिस्टेंट प्रोफेसर– प्राचीन इतिहास विभाग, लालजी रामराज यादव पी0जी0 कालेज, बेलवा–मडियाहूं, जौनपुर, 2. शोध अध्येता– प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-09.09.2022, Revised-15.09.2022, Accepted-20.09.2022 E-mail: chhotelaly01@gmail.com

सारांशः – ***किसी समाज में नारी को मिलने वाले सम्मान से उस समाज के विकास को मापा जा सकता है। यदि किसी संस्कृति में स्त्री को पर्याप्त सम्मान मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वह समाज सुसंस्कृत और विकसित है। समाज, सभ्यता और संस्कृति के विकास में स्त्री का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति उस युग की सामाजिक स्थिति का महत्त्वपूर्ण मापक होता है। जीवन के समस्त पहलुओं के सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा है।***

कुंजीभूत शब्द– संस्कृति, समाज सुसंस्कृत, विकसित, सभ्यता, संस्कृति के विकास, योगदान, शैक्षिक, सर्वांगीण विकास।

प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर दृष्टिपात करने पर शिक्षा के क्षेत्र में नारी की स्थिति अत्यन्त सन्तोषजनक पाई जाती है। वैदिककाल इस .ष्टि से अनुपम था कि उस समय हमारे देश में स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था और पुरुषों के साथ–साथ स्त्रियों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। समाज में जैसे–जैसे नारी के धार्मिक अधिकार में ह्रास होने लगा, उसके परिणामस्वरूप नारी शिक्षा का भी ह्रास होने लगा। ऋग्वेद में पुत्रों के समान पुत्री को भी शिक्षा देने का उल्लेख है।

स्मृति युग मानव जीवन को संचालित करने वाले विधि–विधानों के निर्माण का युग था। चूँकि विधानों का प्रारम्भ इस युग में हुआ था, अतः मानव जीवन इससे पूर्णरूपेण अनुशासित एवं नियमित था। धर्मशास्त्रकारों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करते हुए स्त्री तथा पुरुष के पृथक् कर्तव्यों का निर्धारण कर मानव को विधानों की जटिल शृंखला में बाँधने का प्रयास किया। संस्कारों की अवधि, विवाह का समय यज्ञ की अनिवार्यता तथा आचार व्यवहार तथा उसमें हुई शिथिलता के परिमार्जन हेतु प्रायश्चित सम्बन्धी विधान भी स्मृतिकारों द्वारा प्रदान किए गए हैं। इस काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्ति का पूर्ण अधिकार था। आचार्य मनु आचार एवं मान्यता के क्रम में धन, सम्बन्ध, आयु, कर्म एवं विद्या में पाँचों को मान्यता देते हुए विद्या को सर्वोच्च पद से प्रतिष्ठित किया। मनु की दृष्टि में मोक्ष की प्राप्ति विद्या एवं तप के द्वारा ही सम्भव है तथा श्रद्धायुक्त होकर उसे निकृष्ट से भी ग्रहण करने पर बल दिया है। वशिष्ठ ने भी धन, आयु सम्बन्धी और कर्म की अपेक्षा विद्या को सर्वश्रेष्ठ माना है।

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कहीं उच्चतर थी। बहुत–सी स्त्रियों ने वैदिक ऋचाएं रची है। यथा– अत्रिकुल की विश्ववारा ने ऋग्वेद का 5/28 वाला अंश रचा है, अपाला ने ऋग्वेद का 8/91 वाला अंश रचा है तथा घोषा काक्षीवती के नाम से ऋग्वेद का 10/39 वाला अंश कहा जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थीं, जिसमें मैत्रेयी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसे ही ज्ञान मांगा, जो उसे अमर कर सके। एक अन्य प्रसंग में विदेहराज जनक की सभा में कई एक उत्तर प्रत्युत्तरकर्ता थे, जिसमें गार्गी वाचक्नवी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गार्गी वाचक्नवी के प्रश्नों की बौछार ने याज्ञवल्क्य के दाँत खट्टे कर दिए। अश्वलायन गृहसूत्र में गार्गी वाचक्नवी, वड़वा प्रातिथेयी एवं सुलभा मैत्रेयी नामक तीन नारी शिक्षिकाओं का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि नारी शिक्षा की व्यवस्था अवश्य रही होगी, क्योंकि पाणिनि की काशी वृत्ति ने 'आचार्य' एवं 'उपाध्याय' नामक शब्दों का साधनार्थ व्युत्पत्ति की है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में बताया है कि क्यों और कैसे ब्राह्मण नारी 'आपशिला' (जो आपिशली का व्याकरण पढ़ाती हैं) एवं क्यों 'काश.त्सना', (जो काशकृत्स्न' का मीमांसा ग्रन्थ पढ़ती है) कही जाती है। उन्होंने "'औदमेधाः' उपाधि की व्युत्पत्ति की है, जिसका तात्पर्य है 'औदमेध्या' नामक स्त्री शिक्षिका के शिष्य।)" गोभिलगृहसूत्र एवं काठकगृहसूत्र से पता चलता है कि दुलहिने पढ़ी–लिखी होती थीं, क्योंकि उन्हें मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था।

वैदिक युग में कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। विद्यारम्भ करने से पहले कन्या का भी उपनयन संस्कार किया जाता था तथा वह ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थी। स्मृतिचंद्रिका में उद्धृत हारीत धर्मसूत्र तथा अन्य निबन्धों के अनुसार वैदिक काल में दो प्रकार की छात्राएं थी6 –

1– सद्योवधू

2– ब्रह्मवादिनी।

सद्योवधू छात्राएँ विवाह होने से पूर्व वेद मन्त्रों और याज्ञिक प्रार्थनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। ब्रह्मवादिनी छात्राएँ सदैव अध्ययन में रत रहती थी। अपनी अध्ययनशीलता के परिणामस्वरूप उन्हें तत्कालीन समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

ब्रह्मवादिनी छात्राओं का अध्ययन क्षेत्र, धार्मिक एवं दार्शनिक होते हुए भी सीमित अथवा संकुचित न था। ये छात्राएँ जीवनपर्यन्त ज्ञानार्जन में लगी हुई आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। इन स्त्रियों ने वेदाध्ययन काव्य रचना, त्याग, तपस्या द्वारा ऋषिका का पद प्राप्त किया। इनके द्वारा ऋग्वेद में अनेक श्लोकों की रचना की गयी। शौनक ने अपनी .ति बृहददेवता में मन्त्र. ष्टा नारियों के नामों का उल्लेख किया है। अनेक स्थानों पर विदूषियों द्वारा पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सुलभा, मैत्रेयी और गार्गी की विद्वता लोक प्रसिद्ध है।

उत्तर वैदिककाल में नारियाँ व्यवहारिक शिक्षा के अन्तर्गत नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की भी शिक्षा प्राप्त करती थी। त्रिपुर की नारियाँ अपनी भाव– भंगिमाओं से लोगों को प्रसन्न करती थीं।7 चित्रकला में कन्याओं की रुचि थी। वाणसुर के मन्त्री कुष्माण्ड की कन्या–सखी चित्रलेखा ने अनेक देवों गन्धर्वों और मनुष्यों की आ.तियों का चित्रांकन किया, जिसमें अनिरुद्ध का चित्र उल्लेखनीय था।

ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक नारियाँ ज्ञान प्राप्त कर शिक्षिका का जीवन व्यतीत करती थीं। ऐसी नारियाँ उपाध्याय कहलाती थी। वे शिष्याओं को विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ मीमांसा और व्याकरण जैसे जटिल विषयों का अध्ययन भी करवाती थी। पाणिनि–व्याकरण का अध्ययन करने वाली शिष्या पाणिनीया, अपीशलि आचार्य के व्याकरण को पढ़ने वाली अपशिला कहलाती थी। कुशल शिक्षिका के साथ विवाह करने वाला पुरुष अपनी पत्नी से गौरवान्वित होकर उसके (पत्नी) नाम से स्वयं का नामकरण करता था। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार छात्राओं के लिए अलग से शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्ध था।8 पाणिनि ने विशेष रूप से छात्राओं का उल्लेख किया है। आजन्म कुमारी रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली नैष्ठिक भिक्षुणियों को कुमारश्रवणा कहते थे।

200 ई०पू० के आस–पास समाज की इस व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। अब कन्याओं का विवाह अल्पायु में सम्पन्न होने के कारण नारी शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध–सा हो गया। शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था, जो नारियों के लिए अनौपचारिक रीति बनकर रह गया। विवाह को ही उनका उपनयन संस्कार माना जाने लगा। मनु द्वारा कन्या के लिए विवाह की आयु (8 वर्ष) निर्धारित करने से भी स्पष्ट होता है कि मनु नारी शिक्षा देने के प्रति उदासीन थे। उन्होंने स्त्रियों को शूद्रों की श्रेणी में रख उसे शिक्षा से वंचित किया। मनु के अनुसार पति ही कन्या का अचार्य, विवाह ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा ही उसका आश्रम निवास और गृह–कार्य ही दैनिक धार्मिक अनुष्ठान थे। उन्होंने कन्या के उपनयन में वैदिक मन्त्र नहीं पढ़ने का निर्देश दिया है और केवल विवाह संस्कार में मन्त्र पाठ होता था। विवाह के अवसर पर सुन्दर गुण सम्पन्न तथा अलंकृत कन्या के दान की बात कही गयी, कहीं पर भी सुशिक्षित कन्या की चर्चा नहीं है। नारी के विवाह की अल्प–आयु, मन्त्राध्ययन की अनाधि.तता, धार्मिक कार्यों के लिए अपात्रता तथा अपवित्रता इत्यादि से स्मृतिकारों का नारी की शिक्षा के सम्बन्ध में हेय दृष्टिकोण प्रमाणित होता है।

स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाले मनु के परवर्ती स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने नारियों के सभी संस्कारों को मन्त्रहीन विहित करते हैं। नारद एवं पराशर भी स्त्री शिक्षा के प्रति मौन हैं। कालांतर में स्त्रियों को शूद्रों की तरह वेद मन्त्रों के उच्चारण एवं यज्ञों में शामिल होने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब वे केवल माता–पिता, भाई आदि के घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। इसके विपरीत इस सम्बन्ध में कुछ धर्मशास्त्रकारों का दृष्टिकोण पृथक है। बृद्धहारित एवं भृगुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के उपनयन तथा वेदाध्ययन की व्यवस्था की गई है। बृद्धहारित के अनुसार सदाचार सुशीलता आदि गुणों से युक्त सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियाँ मन्त्रों के पाठ की अधिकारी हैं। भृगु कहते हैं कि बालक एवं कन्याओं का उपनयन संस्कार पाँच वर्ष की अवस्था में होना चाहिए तथा उन्हें वेदाभ्यास करना चाहिए। हारीत ने व्यवस्था दी है कि मासिक धर्म चालू होने के पूर्व ही स्त्रियों का समापवर्तक हो जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि नारियों का उपनयन गर्भाधान के आठवें वर्ष में होता था, वह वेदाध्ययन करती थीं और उनका छात्र जीवन राजस्वला के पूर्व समाप्त हो जाता था। राजस्वला आदि अवस्था में स्त्रियों द्वारा वेदपाठ निषिद्ध है। कन्याओं को पाँच वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में प्रवेश कराना चाहिए। आचार–विचार तथा स्वच्छता से हीन स्त्रियाँ तथा पुरुष वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है। भृगु ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बिना अध्ययन के स्त्री एवं शूद्र को ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति असम्भव है। अतः स्त्री और शूद्रों को भी मुक्ति के लिए ज्ञान की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी ई० तक का समय उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणों का काल रहा है, जिससे समाज में भारी अव्यवस्था फैल गयी, जिसने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। कन्याओं को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गई तथा घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया गया। अब वे केवल अपने पिता भाई या चाचा आदि से ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

स्मृतिकाल में नारी शिक्षा का ह्रास तीव्र गति से दिखाई पड़ता है। वेदों में स्त्रियों के लिए प्रचलित उपनयन संस्कार एवं तद् द्वारा शिक्षा की सुविधा को स्मृतियों में प्रायः निषिद्ध कर दिया गया। मनु, याज्ञवल्क्य, इत्यादि स्मृतिकारों ने बाल्यवस्था से वृद्धावस्था तक नारी को पुरुष के अधीन कर दिया। विदेशी आक्रमणों की अव्यवस्था एवं सुरक्षाहीनता की भावना के कारण कन्याओं के विवाह की आयु कम कर दी गई। अब विवाह नौ वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में किया जाने लगा। कन्याओं के उपनयन संस्कार तो मात्र औपचारिकता मात्र रह गये थे।

यह स्वाभाविक ही था कि बाल विवाह होने पर शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। शिक्षित न होने से वह मन्त्रों के रहस्य को नहीं समझ सकती थीं और न शुद्ध उच्चारण कर सकती थी।

मन्त्र का गलत उच्चारण अनर्थकारी माना गया है– इन्द्रशत्रुर्वर्धस्वः। अतएव स्त्री को तत्त्व यज्ञीय कार्यों से ही विरत रहने का उपदेश दिया गया था। वे न तो वैदिक मन्त्रों का उच्चारण कर सकती थी और न ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकती थी। उत्तरकालीन स्मृतियों के लिखे जाने एवं उस पर भाष्य लिखे जाने के वक्त तक स्त्रियों की दशा निरन्तर पतनोन्मुख होती गई। इस समय तक विवाह की आयु और कम कर आठ से दस वर्ष कर दिया गया।

दस वर्ष की आयु में जो शिक्षा प्राप्त कर लें उसके लिए उपयुक्त थी, विवाह हेतु आदर्श माने जाने से स्त्रियाँ शिक्षा से मानो वंचित हो गयीं। प्राचीन काल में नारियों की शिक्षा पर उसकी सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव था। निर्धन परिवारों की कन्याएँ शिक्षा से वंचित हो गई थीं। उच्च परिवार की कन्याएँ घर पर माता–पिता भाई–बन्धु आदि से गृह सम्बन्धी तथा साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करती थी।

अभिजात्य व राजपरिवार की कन्याओं के लिए विशेष व्यवस्था व सुविधा उपलब्ध हो जाने के कारण वे सभी प्रकार की साहित्यिक, कलात्मक, राजनैतिक तथा युद्ध सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। नारियों का यही वर्ग तद्युगीन नारी समाज को गौरव प्रदान करती थी। समाज की शेष वर्ग की नारियाँ अशिक्षित होने के कारण उनकी गणना शूद्रों की श्रेणी में की जाने लगी। घर–गृहस्थी में उनको सीमित कर दिया गया। विवाह संस्कार ही उनका वैदिक संस्कार, पतिसेवा ही गुरुकुल निवास तथा गृहकार्य ही अग्निहोत्र कर्म कहा गया।

धर्मशास्त्रकारों ने प्रारंभ में नारी शिक्षा को विशेष महत्व दिया पर समय बीतने के साथ–साथ इनमें ह्रास होने लगा वैदिक काल मे नारी शिक्षा पुरुषों के समान दिया जाता था। पुरुषों के साथ–साथ नारियों का भी उपनयन संस्कार होता था किंतु स्मृति काल तक आते–आते नारी शिक्षा में अनेक बाधाएं आने लगी नारियों का विवाह 9 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य होने लगा जोकि उपनयन संस्कार के भी आयु थी।

विवाह के बाद पति सेवा ही नारियों का परम कर्तव्य मान लिया जाता था शिक्षा से अब वे दूर होती गई हालांकि कुछ प्रमुख धर्मशास्त्रकारों ने विद्या को सर्वोच्च बताया और कहाँ जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति विद्या से ही हो सकती है और इसे सभी लोग आदर्श मानकर ग्रहण करें कुछ विद्वान धन के अपेक्षा शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं ये सभी विचार नारी शिक्षा को जीवंत प्रदान करते हैं उपरोक्त सभी शैक्षिक व्यवस्था वर्तमान नारी शिक्षा का आधार स्तंभ बना यह स्तंभ भारत का संविधान है जहाँ अनुच्छेद 21ए सभी को समान निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है वही सभी छः प्रकार के मौलिक अधिकार (शिक्षा के साथ) पुरुष स्त्री को समान रूप से प्राप्त होता है अब नारी शिक्षा प्राप्त करके प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ–साथ चल रही हैं राजनीति से लेकर खेल व्यवसाय आदि सभी सर्वोच्च पद को शिक्षित नारियों द्वारा ही सुशोभित किया जा रहा है हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी वह अब निरप्रेक्ष्य रूप से सभी को प्राप्त हो रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद, 9/68/5.
2. श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि। – मनु० 2/238.
3. विद्यावित्तवयः संबन्धकर्म च मान्यम्। – वशिष्ठ० 13.24.
4. वही, 3/6/8.
5. आश्वलायन गृहसूत्र 3/4.
6. हारीत धर्मसूत्र 21/20/24.
7. नारी वा कुरूते या तु विशोकद्वादशीव्रतम्। नृत्यगीतपरा नित्यं सापि तत्फलमाप्नुयात।। मत्स्यपुराण 82/29, 131/9.
8. महाभाष्य 4/1/14.
9. पाणिनी 6/2/86.

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

10. मनुस्मृति 2/67.
11. याज्ञवल्क्य, 1/3.
12. पुराणतन्त्र वीर मित्रोदय परिभाषा, पृ० 40. वदन्ति कोचिन्मुनयः स्त्रीणां शूद्रसमानताम्। संस्कार प्रकाश, यम का उद्धरण, पृ० 402–403.
13. न पत्युः सेवया भवेज्ज्ञानैकहेतुका। न बिनाऽध्ययनं ज्ञानं भवेत स्त्रीशुद्रपुत्रयोः। – भृगु० 10/15.
14. गौतम 18/1; वशिष्ठ धर्मसूत्र 6/1; बौधायन धर्मसूत्र 2/4/45.
15. वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारः वैदिकोमतः। पतिसेवा गुरौर्वासौ गृहार्योग्नि परिक्रिया।। – मनु० 2/67.

*****